भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3109

उत्तर देने की तारीख: 15.03.2021

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति

†3109. एडवोकेट ए.एम. आरिफ:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के दायरे में वृद्धि करने के लिए परिवार की आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख प्रति वर्ष करने के लिए कोई कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त योजना के दायरे के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के और विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए उक्त छात्रवृत्ति हेतु राज्य-वार कोटे में वृद्धि पर विचार करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उक्त छात्रवृत्ति की मासिक राशि को वर्तमान में 100 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर कम से कम 200 रूपए प्रति माह करने की मंशा है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को उक्त बिंदु पर केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो इसकी स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) : अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अवगत कराया है कि देश भर के सभी राज्यों में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिख और

जोरोस्ट्रियन (पारसी) से संबंधित छात्रों या लाभार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को लागू करता है। सरकारी/ मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा I से X तक पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए निर्धारित हैं। पात्र होने के लिए, छात्रों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसे पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।

यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों की 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू करने के लिए जांच की जा रही है और इसी समय अभिभावकों की वार्षिक आय, वार्षिक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कोटा और छात्रवृत्ति की दर के संशोधन सहित सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

(घ): अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में केरल राज्य सरकार से ऐसा कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

*****